(वाद संख्या–**3588/17**)

14.11.2019

परिवादी उपस्थित हैं।

पुलिस अधीक्षक, शेखपुरा से मांगा गया प्रतिवेदन अप्राप्त है।

प्रस्तुत मामला परिवादी के पुत्री रीना कुमारी की दिनांक– 19.01.2017 को पश्चिमी चम्पारण जिला के रामनगर स्थित उसके ससुराल में उसके पति, ससुर, सास वगैरह द्वारा मिलकर हत्या करने से संबंधित है। प्रसंगाधीन हत्याकांड को लेकर परिवादी के फर्द बयान के आधार पर उसकी पुत्री के ससुराल वालों के विरूद्ध भा0द0स0 की धारा 302/34 के अन्तर्गत रामनगर थाना कांड सं0–28/17, दिनांक–19.01.2017 संस्थित किया गया है। परिवादी का कथन है कि पुलिस द्वारा प्रसंगाधीन कांड में उसकी पुत्री के सास, ससुर व पति के विरूद्ध न्यायालय में आरोप–पत्र समर्पित किया जा चुका है तथा प्रसंगाधीन मामला वर्तमान में बगहा स्थित सत्र न्यायालय में विचारण हेतु लंबित है तथा अभियोजन की ओर से अब तक एक साक्षी का अभिसाक्ष्य भी कराया जा चुका है।

परिवादी का कथन है कि वह शेखपुरा जिला का निवासी हैं साथ ही साथ उसके सभी साक्षी शेखपुरा जिला के निवासी हैं, जबकि यह मामला विचारण हेतु पश्चिमी चम्पारण जिला के बगहा स्थित सत्र न्यायालय में लंबित है। परिवादी का कथन है कि प्रसंगाधीन मामले के सभी अभियुक्तगण वर्तमान में जमानत पर बाहर है तथा उनके द्वारा उसे व उसके साक्षियों को न्यायालय में साक्ष्य न देने हेतु धमकाया जा रहा है।

अब जबकि, प्रसंगाधीन मामला विचारण हेतु सत्र न्यायालय में लंबित है तो ऐसी परिस्थिति में आयोग के स्तर पर कोई आदेश/निर्देश दिया जाना उचित नहीं होगा। परिवादी को सलाह दी जाती है कि वे संबंधित विचारण न्यायालय में उसे तथा उसके साक्षियों को धमकाने से संबंधित तथ्य के संबंध में याचिका दायर कर न्यायालय से ही वांछित अनुतोष प्राप्त कर सकते हैं।

उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रसंगाधीन मामले को बंद किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

ह0/–

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

<u>सहायक निबंधक</u>